न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या 01/2023 दायर दिनांकः– 19.01.2023

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

कौशल्याबाई पत्नि रामलाल जाति बंजारा निवासी सेमलखेडी तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)

– अपीलान्ट

बनाम

– रेस्पोडेन्ट

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज।

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

दिनांक :– 30.04.2025

निर्णय

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट के तहत तहसीलदार किशनगंज के प्रकरण संख्या 435/2022 निर्णय दिनांक 03.03.2022 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सेमलखेडा की आराजी खसरा नम्बर 111 रकबा 0.64 हैक्टेयर किस्म सिवायचक पर अतिक्रमी मानकर 390/– रूपये जुर्माना, फसल कीमत एवं बेदखली के आदेश दिये हैं। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरित होने से निरस्तनीय है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई।

अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना व बिना किसी साक्षी की साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की हैं। अपीलान्ट का उक्त विवादित आराजियात पर करीबन 20 सालो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं, तथा अपीलान्ट समय समय पर ताबान राशि भी जमा करवाती चली आ रही हैं। अपीलान्ट गरीब परिवार की महिला हैं, जिसके पास उक्त वर्णित आराजी के अलावा अपने जिविको पार्जन हेतु कोई साधन नहीं। अपीलान्ट को उक्त वर्णित आराजियाज से बेदखल कर दिया गया है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा हैं। जबकि अपीलान्ट द्वारा जुर्माना राशि जमा करवा दी गई हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकतरफा एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त फरमावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्को पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिक्रमी को बेदखल करने बाबत पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)